

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्दा दीवानी)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

गोटासीन अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-014/2023

1. निरजन सिंह पुत्र जगरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

बनाम

-- वादी

1. भोला सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. बलराज सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. परमजीत कौर पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी सोहन सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. कर्मजीत कौर पुत्री बलवन्तसिंह पत्नी सुखदर्शनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. जसवीर कौर पत्नी शिवराज सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
6. गुरजीतसिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
7. गुरविन्द्र सिंह पुत्र शिवराजसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
8. बूटासिंह पुत्र मघरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
9. मलूकसिंह पुत्र मघरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
10. सरजीत कौर पुत्री मघरसिंह पत्नी बुटासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
11. गुरदेव कौर पुत्री मघरसिंह पत्नी मखनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
12. मनजीत कौर पत्नी भूपसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
13. सोहनसिंह पुत्र भूपसिंह जाति कुम्हार निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी हनुमानगढ।
14. मोहनसिंह पुत्र भूपसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
15. दर्शनसिंह पुत्र फौजासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।



यक कलक्टर  
उपखण्डाधिकारी  
टिब्बी



16. लालसिंह पुत्र फौजासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
17. मनजीतकौर पुत्री फौजासिंह पत्नी सोहनसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
18. गुरदीप कौर पुत्री फौजासिंह पत्नी पूर्णसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
19. कुलदीप कौर पुत्री फौजासिंह पत्नी मेजरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी हिम्मतपुरा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का।
20. बघेलसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
21. जसवीर कौर पुत्री ज्वालासिंह पत्नी कर्मसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
22. नसीब कौर पुत्री ज्वालासिंह पत्नी अमरसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मटोरिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
23. बख्तावरसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
24. कौरसिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
25. मनासिंह पुत्र ज्वालासिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
26. जसवीर कौर पुत्री ज्वालासिंह पत्नी निरजंसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
27. नसीब कौर पुत्री ज्वालासिंह पत्नी रामचन्द्र जाति कुम्हार सिख निवासी अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
28. सरजीत कौर पुत्री ज्वालासिंह पत्नी नत्थूसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
29. अग्नेजकौर पत्नी बलवन्तसिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— प्रतिवादीगण



दावा अन्तर्गत धारा :-88 आर.टी.ए. घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 14.02.2024

सहायक कलक्टर  
उपखण्डाधिकारी  
टिब्बी

वादी की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैल सिंह अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.02.2024 को स्वाति गुप्ता आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर अन्तिम डिक्री की जाती है, कि वादी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वाद पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद पत्र में वर्णित चक नम्बर 4 एम.डी के खाता संख्या 73/78 में कुल 1.265 हैक्टर आराजी का वादी निरजंन सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नम्बर 4 एम.डी. के खाता संख्या 73/78 में से अजमेर कौर, कौरसिंह, दर्शनसिंह, फिनो कौर, बख्तावर सिंह, बघेलसिंह, बलवन्तसिंह, मु० दीरो, मुकन्द कौर, मघर सिंह, मनसिंह, लालसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 14.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

मुहर



XV  
 मह (शक्ति लास्ता)  
 उपखण्ड अधिकारी एवम्  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	---	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	---	अर्जी के लिये स्टाम्प	---
प्रदर्शों के लिये स्टाम्प	---	प्लीडर की फीस	---
रूपये पर प्लीडर की फीस	---	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	---	आदेशिका की तामिल	---
कमिश्नर की फीस	---	कमिश्नर की फीस	---
आदेशिका की तामिल	---		
योग	---	योग	---